

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

### प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 04.01.2018 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या 03 के अन्तर्गत छोटा बघाड़ा क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलबन्दी की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. श्री हीरा लाल पटेल द्वारा छोटा बघाड़ा में भूतल पर लगभग 150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
2. श्री गुलाब चन्द्र पाल द्वारा छोटा बघाड़ा साईं मंदिरा रोड में भूतल पर लगभग 125 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
3. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा बंधा रोड में भूतल पर लगभग 225 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
4. श्री राधेश्याम पाल द्वारा छोटा बघाड़ा में भूतल पर लगभग 200 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
5. श्री श्याम कुमार द्वारा छोटा बघाड़ा में भूतल पर लगभग 100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
6. श्री सुरेश गुप्ता द्वारा छोटा बघाड़ा में भूतल पर लगभग 100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
7. श्रीमती संतोषी देवी द्वारा रामप्रिया रोड में भूतल पर लगभग 125 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।
8. श्री कबीर द्वारा अराजी संख्या 210 ढहरिया में भूतल पर लगभग 150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा निर्माण सील किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियंता श्री अनुराग नागर, एवं ए.डी.ए. पुलिस बल उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जोन स्तर से निम्नवत् अन्य कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या-02 में जोनल अधिकारी श्री जय राम मौर्या के नेतृत्व में 04 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या-03 व 04 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 03 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या-06 में जोनल अधिकारी श्री सत् शुक्ला के नेतृत्व में 01 चालान की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 08 चालान की कार्यवाही की गयी।

(पी0एन0यादव)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक- समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

04.01.18

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क